पाली में मिलावटी घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी

बाप-बेटे सरस और अमूल का टैग लगाकर बेच रहे थे, दोनों गिरफ्तार

पाली, (नि.सं.)। पाली के केशव नगर क्षेत्र स्थित फैक्ट्री जहां मिलावटी घी बनाने का कारखाना पकडा गया।

मिलावटी घी बनाकर डिब्बों पर सरस और अमूल का ब्रांड लगाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। फैक्ट्री चलाने वाले बाप-बेटे को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने शिवगंज-सुमेरपुर में मिलावटी घी बनाना सीखा था। पुलिस ने मौके से मिलावटी घी से भरे 15 लीटर और 5 लीटर के 177 टीन जब्त किए हैं। इसके साथ ही सैकड़ों खाली टीन, सरस और अमूल ब्रांड के स्टीकर व अन्य सामग्री जब्त की। फेस्टिव सीजन में दोनो नकली घी बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। पाली एसपी डॉ. गगनदीप सिंगला ने बताया कि पाली के नया बस स्टैंड के पीछे केशव नगर में मिलावटी बनाने की फैक्ट्री संचालित होने की मुखबिर से सूचना मिली। इस पर टीम प्रभारी मनमंथ आढ़ा के नेतृत्व में टीम ने बुधवार को फैक्ट्री में दबिश दी।

बाद में सीओ सिटी अनिल सारण, कोतवाल सुरेश चौधरी मयजाप्ता मौके पर पहुंचे। टीम ने यहां से सरस, अमूल जैसे प्रतिष्ठित घी के ब्रांड के 15 लीटर के 81 टीन और 5 लीटर के 96 मिलावटी घी से भरे कुल 177 टीन जब्त किए हैं। मामले में पुलिस ने रानी के सालरिया गांव निवासी पर्वत सिंह पुत्र भंवर सिंह और उनके बेटे लोकेंद्र सिंह पुत्र पर्वत सिंह को गिरफ्तार किया है।

दासनू रोही नोखा में नकली डीएपी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी

नोखा, (कासं)। दासनू रोही नोखा में नकली डीएपी के 439 कट्टों के साथ जखीरा पकड़ा । जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद, उपखंड अधिकारी नोखा स्वाति गुप्ता के निर्देशानुसार उपनिदेशक कृषि कैलाश चौधरी और सहायक निदेशक कृषि अमर सिंह गिल के नेतृत्व में कृषि अधिकारी सुभाष चन्द्र ने नकली डीएपी बनाने का जखीरा पकड़ा।

कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत, सहायक कृषि अधिकारी राकेश और कृषि पर्यवेक्षक प्रियंका टीम में शामिल रहे। इस अवसर पर तहसीलदार नरेन्द्र बापेड़िया, नायब तहसीलदार नृसिंह टाक, थानाधिकारी ईश्वरप्रसाद जांगिड़ भी मौके पर उपस्थित थे।

■ उत्तम डीएपी और इफको डीएपी ब्रांड के मौके से हजार थैले खाली भी बरामद हुए

एक डीएपी बनाने का कारखाना महावीर पुत्र बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी काकडा नोखा द्वारा संचालित किया जा रहा था। मौके पर 439 नकली डीएपी बनाने के कट्टे टीम द्वारा सीज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हजार थैले मौके से खाली भी बरामद हुए हैं जो कि उत्तम डीएपी और इफको डीएपी ब्रांड के हैं जिनमें नकली डीएपी भरा जा रहा था। नकली डीएपी खाद मिनरल ग्रेन्युल्स के नाम से हापुड़ यूपी से आया बताया गया है।

पांच हजार का इनामी बदमाश पकड़ा

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेट की डांगियावास पुलिस ने बुधवार को भीलवाड़ा पुलिस में पांच हजार के इनामी बदमाश को जोधपुर में जालेली फौजदार गांव में उसके मित्र के घर से पकड़ा है। आरोपी डांगियवास थाने में लूट प्रकरण में वांटेड होने के साथ ही बनाड़ थाने का हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस ने उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। दोनों से अब पूछताछ चल रही है। पुलिस ने मौका स्थल से कार को भी जब्त किया है। डीसीपी पूर्व डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि बुधवार को डांगियवास थानाधिकारी कन्हैयालाल की टीम ने जाजीवाल विश्नोईयान निवासी हनुमान पुत्र चुतराराम विश्नोई एवं उसके सहयोगी जालेली फौजदार निवासी श्रवण पुत्र भंवरलाल विश्नोई को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कन्हैयालाल ने बताया कि आरोपी हनुमान विश्नोई पर भीलवाड़ा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार का इनाम भी घोषित कर रखा था।

इनामी अपराधी हनुमान विश्नोई के खिलाफ प्रदेश में मोडक कोटा ग्रामीण, रोहट पाली, कोतवाली नागौर, खेहनगोरिया जयपुर पूर्व, विजय नगर अजमेर, रायला भीलवाड़ा , गुलाबपुरा, निकुंभ चितौडगढ़ में वांछित चला आ रहा है। डांगियावास, उदयपुर के गोगूंदा में स्थाई वारंटी होने के साथ बनाड में वारंट में वांछित है। आरोपी हनुमान विश्नोई के खिलाफ अब तक 13 प्रकरण विभिन्न थानों एवं धाराओं में दर्ज हो रखे हैं। ज्यादातर में ट्रायल केसेज है। आरोपी श्रवण विश्नोई के खिलाफ एक प्रकरण बिलाड़ा में दर्ज हो रखा है।

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी

आवश्यक सूचना मूलतः मकान संख्या 5/152 अरावली विहार, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाडी श्री ज्ञान प्रकाश पिलानिया को आवंटन पत्रांक 1840 दिनांक 10.09.2010 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा इनके पक्ष में अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 4662 दिनांक 25.01.2011 को जारी किया जा चुका हैं। इनके द्वारा उक्त आवास की रजिस्ट्री स्वयं के पक्ष में दिनांक 01.02.2011 को उप पंजियक भिवाडी में पंजिकृत करवाई जा चुकी है। इनके द्वारा दिनांक 19.05.2022 के पंजीकृत मुख्यतारनामा द्वारा श्री नवीन पिलानिया पुत्र श्री ज्ञान प्रकाश पिलानिया को मुख्यतारआम धारक नियुक्त किया गया। श्री नवीन पिलानियां द्वारा मुख्यतारआम धारक की हैसियत से उक्त आवास का विक्रय दिनांक 30.09.2022 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री मनोज कुमार को किया गया है। श्रीमती शकुन्तला देवी द्वारा स्वयं के नाम से आवास का लीज डीड परिवर्तन करने के लिए प्रपत्र एवं प्रशासनिक शुल्क उच्च आय वर्ग एक बार विक्रय का राशि रूपये 1000.00 जमा कराकर चालान व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त मकान का लीज स्थानान्तरण उनके पक्ष में किया जावें। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त मकान संख्या 5/152 अरावली विहार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाडी के संबंध में किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री मनोज कुमार के पक्ष में मकान संख्या 5/152 अरावली विहार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाडी जिला अलवर के लीज स्थानान्तरण की कार्यवाही की जावेगी। आवासीय अभियन्ता

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853

आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास/फ्लेट संख्या-**2/131** (जी.एफ.) जवाहर नगर, जयपुर क्षेत्रफल **103.527** वर्ग मीटर का आवंटन श्री बेनी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल जी शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 10490 दिनांक 09.12.1980 जारी किया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 30.08.1991 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री बेनी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल जी के द्वारा उक्त आवास/फ्लेट का बेचान श्रीमती सुनीता केसवानी पत्नी श्री रामचन्द केसवानी व श्री रामचन्द केसवानी पुत्र श्री ज्ञान चन्द केसवानी को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 01.05.1993 को करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती सुनीता केसवानी पत्नी श्री रामचन्द केसवानी व श्री रामचन्द केसवानी पुत्री श्री ज्ञान चन्द केसवानी के द्वारा उक्त आवास/फ्लेट का बेचान जरिये इकरारनामा श्री सुरेश वासवानी पुत्र स्व. श्री नथूमल जी वासवानी किया गया। यह इकरारनामा नोटरी पब्लिक के सत्यापित है। श्री सुरेश वासवानी पुत्र स्व. श्री नथूमल जी वासवानी की मृत्यु दिनांक 25.12.2000 को हो जाने के कारण श्रीमती जया वासवानी पत्नी स्व. श्री सुरेश वासवानी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, विक्रय पत्र, इकरारनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- **श्रीमती जया वासवानी पत्नी स्व. श्री सुरेश वासवानी के पक्ष में** उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)

क्रमांक-एफ-13()उपा.आयो.-द्वितीय/ननिज/2022/300 दिनांक- 02.09.2022

सार्वजनिक सूचना मूल भूखण्ड सं. 130, श्री राम नगर बी, झोटवाडा (संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा श्रीमती बिदामी देवी पत्नी श्री हनुमान सहाय कुमावत के नाम से क्षेत्रफल 236.59 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया है। प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), पंजीकृत पट्टा मय साइट प्लान की फोटोप्रति, रजि. विक्रय पत्र की फोटोप्रति, रजि. उपहार पत्र की फोटोप्रति एवं अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति के आधार पर उक्त भूखण्ड का उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण किया जाना है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा श्रीमती प्रभा सिंह पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह के पक्ष में उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 236.59 वर्गगज में से पूर्वी हिस्सा का क्षेत्रफल 113.28 वर्गगज उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण किया जाना है। इस उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (आयोजना द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

दूध फैक्ट्री पर जयपुर क्राइम ब्रांच व खाद्य विभाग की कार्यवाही

फैक्ट्री में बनाए जा रहे दूध के उत्पादों से नमूने लिए

महुवा, (निसं)। कस्बे के भरतपुर रोड स्थित टिकरी मोड़ के समीप संचालित दाऊजी मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जयपुर क्राइम ब्रांच व खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बडी मात्रा में घी , मिल्क पाउडर को जप्त कर नमूने उठाए हैं।

फैक्ट्री में बनाए जाने वाले प्रोडक्ट के पूर्व में भी नमूने लिए गए थे। जिनमें से दो सैंपल फेल हुए थे। जिसे लेकर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की गई है। क्राइम ब्रांच निरीक्षक राम सिंह नाथावत ने बताया कि दाऊजी मिल्क फैक्ट्री की शिकायत मिली थी कि फैक्ट्री में बनाए जा रहे मिल्क प्रोडक्ट में गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस पर दौसा फूड इंस्पेक्टर मदन लाल गुर्जर की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बडी मात्रा में घी व मिल्क पाउडर जप्त कर सील किया गया है। जबकि फैक्ट्री में बनाए जाने वाले बटर को कोल्ड स्टोरेज में रखवाकर उसे नहीं बेचे जाने की हिदायत दी गई है। तथा सैंपल लिए गए हैं। दौसा फूड इंस्पेक्टर मदन लाल गुर्जर ने बताया कि जयपुर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई है। इस दौरान फैक्ट्री में बनाए जा रहे दूध के उत्पादों से नमूने लिए गए हैं। तथा फैक्ट्री में बनाए जा रहे 2820 किलो राधा गोविंद घी, 2280 देशरतन घी तथा 1675 मिल्क पाउडर के कट्टे जप्त कर सील किए गए हैं। इस प्रकार कुल 6775 दुग्ध उत्पादक को जप्त किया गया है।

भरतपुर रोड पर टिकरी मोड़ के पास फैक्ट्री में कार्यवाही करती जयपुर क्राईम ब्रांच की टीम।

■ फैक्ट्री से 2820 किलो राधा गोविंद घी, 2280 देशरतन घी तथा 1675 मिल्क पाउडर के कट्टे जप्त कर सील किए

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम नगीन से बदलकर नगीन बानो रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें प्लाट नं. 156, मोहल्ला भूतकोई तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान-332709

मैंने अपना नाम शोफिया से बदलकर शोफिया बानो रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे प्लाट नं. 156 मोहल्ला भूतकोई तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान-332709

I have changed my name from Harish Chand Malik to Harish Malik S/o Jagannath Malik for all purpose. R/o D-510, Lane No. 6, Valmiki Marg, Rajapark, Jawahar Nagar, Jaipur.

रजि सं. 2077/L

श्यामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर
ऑफिस: रामनगर टोल टैक्स के पास, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर (राज)
क्रमांक SP/1 **आम सूचना** दिनांक 18.10.22

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समिति की योजना विनायक नगर जामडोली, आगरा रोड, जयपुर में भूखण्ड संख्या 28-ए (एरिया 200 वर्गगज) आवंटन श्रीमती उर्मिला माहेश्वरी पत्नी श्री प्रेमनारायण को दिनांक 13.09.1990 को जारी किया गया था। समिति के संशोधित नक्शे के अनुसार भूखण्ड संख्या 28-ए का नया नम्बर 27-एरिया 160.00 वर्गगज का है। श्रीमती उर्मिला माहेश्वरी का स्वर्गवास दिनांक 24-12-2004 को हो गया है। एवं विनायक नगर के भूखण्ड संख्या 29 एरिया 266.66 वर्गगज का आवंटन डॉ. प्रेमनारायण माहेश्वरी पुत्र श्री रामस्वरूम माहेश्वरी को दिनांक 17.09.1990 को जारी किया गया था। समिति के संशोधित नक्शे के अनुसार भूखण्ड संख्या 26 एरिया 213.33 वर्गगज का है। डॉ. श्री प्रेमनारायण माहेश्वरी का स्वर्गवास दिनांक 07.02.2007 को हो गया है। उक्त दोनों भूखण्डों का संशोधित नम्बर 26, 27 के लिए इनके पुत्र डा. दीपक माहेश्वरी पुत्र स्व. डा. प्रेमनारायण माहेश्वरी निवासी 48/103, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर ने समिति कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र (आवेदन) मय शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व एक मात्र वारिस प्रमाण पत्र पार्षद द्वारा प्रमाणित समिति में उक्त भूखण्ड संख्या 26, 27 को अपने नाम हस्तान्तरण करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्डों को डा. दीपक माहेश्वरी के नाम हस्तान्तरण करने में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक इत्यादि को किसी भी प्रकार का कोई एतराज (आपत्ति) हो तो समिति कार्यालय में 10 दिवस में (मय दस्तावेज) सूचित/ एतराज प्रस्तुत करें अन्यथा दिन मियाद गुजर जाने के बाद उक्त भूखण्ड संख्या संशोधित 26, 27 विनायक नगर जामडोली जयपुर को डा. दीपक माहेश्वरी के नाम हस्तान्तरण कर दिया जावेगा। समय मियाद बाद किसी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा एवं समिति उत्तरदायी नहीं होगी।

मन्त्री: श्यामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर, मोबाइल: 9829044540

नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
क्र:एफ-13( )उपा.आयोजना/जननि/2022/459

संशोधित सार्वजनिक विज्ञप्ति दि.18.10.22

विषयः- राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां/ सुझाव आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति।

नगर निगम,जयपुर में निम्न वर्णित भूखण्ड धारक ने कॉलम 4 में वर्णित मास्टर विकास योजना 2025(जयपुर रीजन) में निर्धारित भू-उपयोग का कॉलम-5 में वर्णित भू-उपयोग हेतु आवेदन किया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम भूखण्ड संख्या, योजना का नाम	भूखण्ड का क्षेत्रफल व उपयोग	मास्टर प्लान (2025) अनुसार भू- उपयोग	आवेदक द्वारा चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5
1	अजुर ट्री प्रोपर्टी वेन्चर्स प्रा. लि. भू.सं. ए-6, खसरा नम्बर 142, ग्राम-बस्सी, सीतारामपुरा जयपुर	35,380 व.ग. (औद्योगिक)	स्पेशल एरिया/ आमी एरिया/ सरकारी आरक्षित क्षेत्र	आवासीय

यदि किसी व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/ सुझाव हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की अवधि तक अपनी आपत्ति/ सुझाव कारणों सहित नगर निगम जयपुर के आयोजना शाखा में प्रस्तुत कर सकते है।।

महेन्द्र सोनी (IAS)आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत फतेहपुरा
पंचायत समिति गोविन्दगढ जिला-जयपुर

क्रामंक-ग्रा.प.फ/ई-निविदा/2022/74 दिनांक- 11.10.2022

ई-निविदा सूचना संख्या /2022-23

ग्राम पंचायत ढोढसर में वित्तीय वर्ष 2022-23 में पन्द्रहवां वित्त योजना अन्तर्गत स्वीकृत 01 कार्य संकर्म राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 181 (2) के अनुसार करवाने हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत प्रतिष्ठानों/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण sppp.rajasthan.gov.in से download की व देखी जा सकती है।

UBN NO.- PFA2223GSRC00425

सरपंच, ग्राम पंचायत फतेहपुरा — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फतेहपुरा

शारीरिक सबंध बनाने का मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडिता ने आरोपी आरएमवी के पिछे कैलाश नगर निवासी कविश कोटाई पुत्र नारायणलाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया कि शहर में निजी कॉलेज में पढ ने के दौरान वर्ष 2017 में आरोपी से संपर्क हुआ था। इस दौरान धीरे धीरे नजदीकिया बढ ने पर आरोपी ने शादी करने का प्रस्ताव रखा।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

तीये की बैठक

अत्यन्त दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य पिताजी **श्री नाथूलालजी कुमावत** पुत्र स्व. श्री नृसिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 18.10.2022 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 20.10.2022 गुरूवार को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान प्लाट नं. 1-बी-109 शिवशक्ति कॉलोनी, राजीव गांधी पार्क में रखी गई है।

शोकाकुल- गंगाराम, किशन जगदीश (भ्राता), महेश, रक्तलाल (पुत्र) राजेन्द्र, राजेश, जगदीश, सुरेश, ओम, महेन्द्र (भजीजे), मुकेश, दीपक, राहुल, शुभम, मोहित, रीछी (पौत्र) धनिष्ठ, कांव्याश (पड़पौत्र)

मो.नं. 7851911290, 9214011802

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री रामप्रसाद सैनी** का स्वर्गवास 18.10.2022 को हो गया। तीये की बैठक 20.10.2022 को 3 से 4 मालियों का मोहल्ला शिवदासपुरा जयपुर पर होगी।

शोकाकुल- नाथूलाल, नानगराम, सीताराम, बाबूलाल, लालचन्द्र, रमेश (भाई), राजेन्द्र, जटाशंकर, सत्यनारायण बिडला, कैलाश, राधेश्याम, बालीस्टार, रविकांत, सुमित (पुत्र), विशाल, शुभम, आयुष, रोनक, राजवीर, अनिरूद्ध (पौत्र) एवं समस्त सूईवाल परिवार-

9929345772, 7568069113, 8003077079, 8386999482

हैड कांस्टेबल रिश्वत लेते गिरफ्तार

ट्रक मालिक पर कार्रवाई रोकने के नाम पर मांगे पांच हजार रुपए

बीकानेर, (कासं) महाजन थाने के हैड कांस्टेबल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। हैड कांस्टेबल महेश एक ट्रक चालक से ट्रक पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में पांच हजार रुपए मांग रहा था। जैसे ही उसने रुपए लिए एसीबी ने उसे दबोच लिया। एसीबी अब उसके घर और बैंक खातों की छानबीन कर रही है।

एक मामले में ट्रक मालिक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 102 के तहत कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई से ट्रक चालक को बचाने के लिए पांच हजार रुपएकी रिश्वत मांगी गई। ट्रक मालिक ने इस बारे में एसीबी को शिकायत की। एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने शिकायत मिलने के साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बना ली। एसीबी की योजना के मुताबिक ट्रक मालिक ने पांच हजार रुपए देकर इशारा किया। तब सीआई पिंकी गंगवाल और सीआई गुरमैल सिंह ने हेड कांस्टेबल को दबोच लिया। उसके कब्जे से पांच हजार रुपए बरामद किए गए।

हाथ धुलवाने पर महेश के हाथ से गुलाबी रंग निकला। इस पर पुलिस ने तुरंत उसके खिलाफ मामला बनाया। अब उसके घर और बैंक खातों की छानबीन की जा रही है। इस आशय की शिकायत पहले भी पुलिस अधीक्षक से की गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब अचानक से एसीबी की कार्रवाई से पुलिस सकते में है।

10 हजार रुपए की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

चौमूं/कालाडेरा, (निसं)। ए.सी.बी जयपुर नगर तृतीय इकाई द्वारा बुधवार को चौमूं में बड़ी कार्यवाही करते हुए पटवारी चन्द्रभान जाट पटवार हल्का मोरीजा ए जयपुर को परिवादी से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पत्नी के नाम जमीन पर चढे गलत रहन का शुद्धिकरण करने तथा फौती नामान्तकरण खोलने की एवज में चन्द्रभान जाट पटवारी पटवार हल्का मोरीजा ए जयपुर द्वारा 20 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

ए.सी.बी. की जयपुर नगर तृतीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुलदीप के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर बुधवार को पुलिस निरीक्षक मूलचंद मीणा एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए चन्द्रभान जाट निवासी गांव गठवाडी, तहसील जमारामगढ, जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का मोरीजा ए जयपुर को परिवादी से 10 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ए.सी.बी. के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एम.एन.के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है ।

आरोपी चन्द्रभान जाट

■ रहन का शुद्धिकरण करने तथा फौती नामान्तकरण खोलने की एवज में मांगी रिश्वत

खोया पाया

मेरा मकान सं. 31/435 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का ओरिजनल नियमितिकरण एवम् अदेय प्रमाण पत्र कहीं खो गये है। मिलने पर सम्पर्क भरत लाल शर्मा, मो.8432262785

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली निविदा स्थगित की सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा की ओर से अजमेर मंडल के मावली-मारवाड़ जंक्शन खण्ड के बीच नाथद्वारा रेलवे स्टेशन पर लगभग 2550 टन वजनी लगभग 51000 बोरियॉ डोलामाइट के समकक्ष वस्तु की दिनांक 20.10.2022 को प्रातः 11.00 बजे सार्वजनिक नीलामी की जानी प्रस्तावित थी जिसे अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। यह सूचना उत्तर पश्चिम रेलवे की वेबसाईट nwr.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है।

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, उ.प.रे. अजमेर

863-SN/22

बेदखल मामले विधिक नोटिस मेरे अभिभाष्य हनुमान प्रसाद जैन पुत्र श्री रिखब चन्द जैन निवासी प्लेट संख्या 31/73/03, ग्राउण्ड फ्लोर, वरूण पथ, मानसरोवर, जिला जयपुर राज. की ओर से एवं उनके निर्देशानुसार निम्न प्रकार नोटिस प्रेषित है। यह कि मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र अवदेश जैन उर्फ मोन्टू को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है अवदेश जैन उर्फ मोन्टू द्वारा किये गये कृत्य/कार्य या किसी भी प्रकार का लेन-देन सम्बन्धित समव्यवहार का दायित्व अवदेश जैन उर्फ मोन्टू का होगा, मेरे अभिभाष्य व अभिभाष्य के परिवारगण का किसी प्रकार को कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
(प्रकाश सिंह सैंगर) एडवोकेट, मो.नं. 09928235833

आम सूचना मेरे अभिभाष्य की पत्नि स्व. श्रीमती मनोषा देवी पत्नि श्री रामपाल सिंह के स्वामित्व का एक भूखण्ड संख्या 50, राधा कृष्णा विहार, रोजदा के मूल कागजात घूम हो गये है जिनकी गुमशुदगी पुलिस थाना साईबर क्राईम में दर्ज करवाई गई थी किसी भी व्यक्ति को मूल कागजात मिलने पर मुझसे संपर्क करें एवं इनका दुरूपयोग करने पर वही व्यक्ति जिम्मेदार होंगे।
(महेन्द्र कुमार कमल) एडवोकेट
मो.नं. 9982313201

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य राजेन्द्र कुमार धोबी, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, सूर्य मंदिर के पास, मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ने अपने बड़े पुत्र मनीष कुमार हल्दुनिया एवं पुत्रवधु श्रीमती ज्योति पत्नी मनीष कुमार हल्दुनिया को उनके बुरे बर्ताव एवं गलत चाल-चलन की वजह से अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों से बेदखल कर दिया है। भविष्य में मेरे अभिभाष्य की समस्त चल व अचल सम्पत्तियों में उक्त दोनों का कोई हक व अधिकार नहीं होगा। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था इत्यादि मनीष कुमार हल्दुनिया एवं श्रीमती ज्योति से किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार करेगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित रहे।
जयपुर (संदीप भारद्वाज) एडवोकेट
दिनांक-19/10/2022 मो.नं. 9001949418

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853

आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या- **7-ठ-2** जवाहर नगर, जयपुर क्षेत्रफल **51.00** वर्ग गज का नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 2614 दिनांक 04.09.1998 श्रीमती गुरमित कौर पत्नी श्री रेशम सिंह के पक्ष में जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 25.01.1999 को करवाया गया। श्रीमती गुरमित कौर पत्नी श्री रेशम सिंह की मृत्यु दिनांक 18.02.2006 को हो जाने के कारण श्री बलजिन्दर सिंह व फलविन्दर सिंह पुत्रान् रेशम सिंह संधु के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, वसियतनामा (नोटराईज्ड) एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- **श्री बलजिन्दर सिंह व फलविन्दर सिंह पुत्रान् रेशम सिंह संधु** के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853

आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास/फ्लेट संख्या- **15/113** (एस.एफ.) मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल **34.20** वर्ग मीटर का आवंटन श्रीमती आनन्द कौर पुरोहित को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 51 दिनांक 25.04.1994 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 13.09.2002 को करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती आनन्द कौर पुरोहित पत्नी श्री आर.आर.पुरोहित के द्वारा उक्त आवास का बेचान श्री जयराज सिंह चौहान पुत्र श्री ठाकुर के.एम.सिंह चौहान को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर द्वितीय में दिनांक 15.05.2006 को करवाया गया। श्री जयराज सिंह चौहान की मृत्यु दिनांक 22.10.2022 को हो जाने के कारण श्रीमती ममता चौहान पत्नी स्व. श्री जयराज सिंह के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, विक्रय पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- **श्रीमती ममता चौहान पत्नी स्व. श्री जयराज सिंह** के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड व आई डी एफ सी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.11.2021 को एक मांग कर्जदारों, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. विष्णू कुमार शर्मा, 2. सत्यनारायण शर्मा, 3. नाथी शर्मा को जारी किया गया था, जिसमें 23.11.2021 की तिथी को देय, मांग पत्र में उल्लेखित राशी रुपये 24,53,156.95/- (रुपये चौबीस लाख तिरेपन हजार एक सौ छप्पन और पैसा पिचानवे मात्र) का भुगतान उपर्युक्त नोटिस प्राप्ती के 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज अक्टूबर 2022 के 18 वें दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट फायनेन्स होम लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक के साथ सम्मेलित) की प्रभारित शर्तों के अधीन राशी रुपये 24,53,156.95/- (रुपये चौबीस लाख तिरेपन हजार एक सौ छप्पन और पैसा पिचानवे मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।

कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

प्लाट नं. 256, क्षेत्रफल 202.50 वर्ग मीटर, डेयरी फार्म, सूरजपुरा भट्टावाला, जयपुर, राजस्थान का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है पूर्व-प्लाट नं. 257, पश्चिम-प्लाट नं. 255, उत्तर-रोड 12 मीटर, दक्षिण-रोड 9 मीटर।

दिनांक- 18.10.2022
स्थान- जयपुर
प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
ऋण खाता संख्या- 11710513 एवं 34885531 (पूर्व नाम कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)

स्मार्ट फोन दिलवाने का झांसा देकर धन ऐंठने वाले ई-मित्र संचालक पर की कार्रवाई

स्मार्टफोन दिलवाने के नाम हर व्यक्ति से वसूल रहा था 100 रूपये

खैरथल, (निसं)। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की किशनगढ बास कार्यालय के निरीक्षण दल द्वारा ई मित्रों के किये गये औचक निरीक्षण में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। यही नहीं संचालन स्थान खैरथल की बजाय अन्यत्र गांव में पाया गया। ग्राम नांगल मोजिया में संचालित एसके कंम्पयूटर पर निरीक्षण दल द्वारा सघन जांच में पाया गया की ई-मित्र संचालक सतीश कुमार यादव आमजन को स्मार्टफोन दिलवाने का झांसा देकर प्रति व्यक्ति 100 रुपए की अवैध वसूली कर रहा था। मौके पर मौजूद लगभग 50 महिलाएं स्मार्टफोन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु 100 रुपए देकर रसीद प्राप्त करने के इंतजार में बैठी पाई गई।

विभाग के प्रोग्रामर जब्बार खान द्वारा मौके पर मौजूद महिलाओं के बयान लिए गए साथ ही ई-मित्र संचालक से फर्जी रसीद बुक जप्त की। विभाग द्वारा जारी ई मित्र अनुज्ञा संचालक की पत्नी सीमा यादव को ई मित्र का संचालन बिजली घर के सामने खैरथल हेतु जारी किया गया था इसका संचालन अन्यत्र स्थान पर किया जा रहा है। मौके पर ई मित्र का संचालक अनुज्ञापत्र धारी के पति द्वारा फर्जी तरीके से किया जाना पाया गया । विभाग के द्वारा किसी भी स्मार्टफोन से संबंधित या अन्य किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है ना ही किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जब्बार खान, अर्चना गुप्ता, गोविंद प्रजापत आदि मौजूद रहे।

■ ई-मित्र संचालक से फर्जी रसीद बुक जप्त की

जयपुर विकास प्राधिकरण
इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक : जविप्रा/जोन-9/2022/डी-5976 दिनांक : 19.10.2022

सार्वजनिक विज्ञप्ति

जोनल विकास योजना-02 में दर्शित 18 मीटर की तीन सड़कों का विलोपन किया जाना (प्रदर्शित मानचित्र में मार्क ए से बी, सी से डी, ई से एफ) तथा 24 मीटर (प्रदर्शित मानचित्र में जी से एच) एवं 18 मीटर (प्रदर्शित मानचित्र में एच से आई) सड़क तथा 30 मीटर (प्रदर्शित मानचित्र में जे से के) के अलाईमेंट को परिवर्तन करते हुये मार्क जी से आई सम्पूर्ण सड़क को 30 मीटर किया जाना प्रस्तावित है। जोनल प्लान में दर्शित 120 फीट सड़क के दक्षिण दिशा मे स्थित जोनल प्लान की 18 मीटर सड़क को (प्रदर्शित मानचित्र में मार्क एल से एम) का अलाईमेंट मे परिवर्तन प्रस्तावित है। उपरोक्त प्रस्ताव जविप्रा की योजना सैन्ट्रल स्पाईन के जी ब्लॉक की रिप्लानिंग करने के क्रम मे पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 05.07.2022 एवं 15.09.2022 मे निर्णय लिया गया है।

अनुमोदित जोनल प्लान-02 (पार्ट प्लान)	प्रस्तावित परिवर्तन

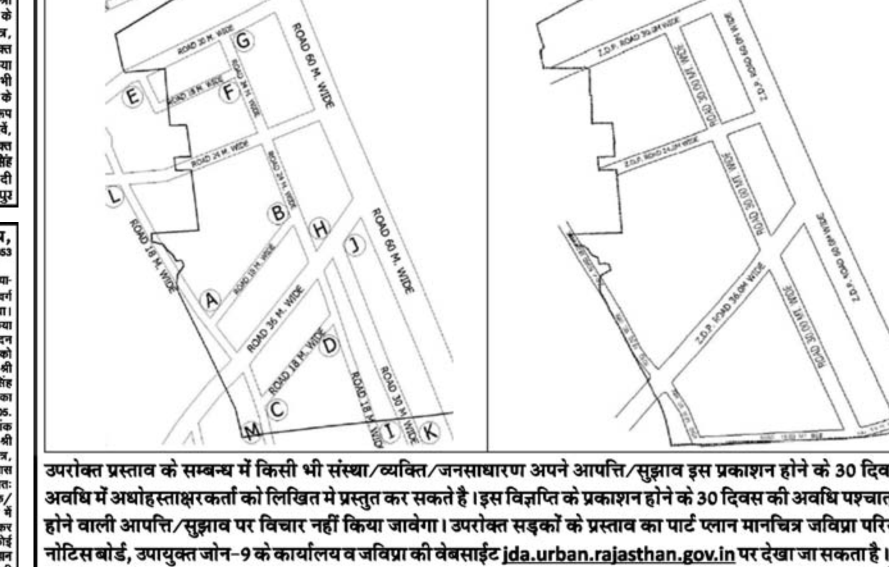

उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी भी संस्था/व्यक्ति/जनसाधारण अपने आपत्ति/सुझाव इस प्रकाशन होने के 30 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित मे प्रस्तुत कर सकते है। इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के 30 दिवस की अवधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा। उपरोक्त सड़कों के प्रस्ताव का पार्ट प्लान मानचित्र जविप्रा परिसर के नोटिस बोर्ड, उपायुक्त जोन-9 के कार्यालय व जविप्रा की वेबसाईट jda.urban.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

राज. संवाद/सी/2022-23/9423 सचिव